

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 27/01/2026

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 26.01.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना रामपुरमांझा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 (3)351 ,352,(2)115,(1)109,(3)191,(2)191 धारा 2026/009

बीएनएस से सम्बन्धित 06 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.01.2026 को थानाध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा वासूचक रेलवे अण्डर पास पर चेकिंग के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 2026/009 (3)351 ,352,(2)115,(1)109,(3)191,(2)191 धाराबीएनएस में वांछित अभियुक्तगण को अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

1.गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. दिवाकर यादव पुत्र सुरेश यादव उम्र 34 वर्ष निरोग्राम मल्लहटोला थाना रामपुर मांझा, गाजीपुर
2. अंशुधर यादव पुत्र सुरेश यादव उम्र करीब 30 वर्ष निरोग्राम मल्लहटोला थाना रामपुर मांझा, गाजीपुर
3. अभिषेक यादव पुत्र जयशंकर यादव उम्र करीब 24 वर्ष निरोग्राम आतमपुर थाना बरेसर, गाजीपुर
4. अखिलेश यादव पुत्र लालचन्द यादव उम्र 39 वर्ष निरोग्राम दवोपुर थाना नन्दगंज गाजीपुर
5. विजय कुमार यादव उर्फ योगेश यादव पुत्र बृजनाथ यादव उम्र करीब 30 वर्ष निरोग्राम बड़हरा थाना नन्दगंज
6. सरदार यादव पुत्र स्व0 रामधीरज यादव उम्र करीब 37 वर्ष निरोग्राम नैसारा थाना नन्दगंज, गाजीपुर

बरामदगी

1. 01 अदद तमन्चा 315 बोर
2. अदद मोबाईल 05 Vivo, Samsang, Realme, oppo, व vivo

2. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 23.11.2025 को अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई को गाली गुसा देते हुए लाठी डण्डा व रॉड से मारना पीटना जिससे वादी के भाई सर्वेश कुमार को सिर पर चोट आना व बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में प्रात प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नन्दगंज पर मु030सं0 322/2025 धारा-191(2), 115(2), 105, 352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 26.01.26 को थानाध्यक्ष नन्दगंज अतुल कुमार मिश्रा मय हमराह उ0नि0 राजकुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण अभ्य बिन्द एवं आलोक कुमार बिन्द उम्र करीब 22 वर्ष को बहादीपुर तिराहे से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण नाम पता-

1.अभ्य बिन्द पुत्र केदार बिन्द निवासी ग्राम धर्मपुरवा (कोडनियापुर) थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

मु030सं0 322/25 धारा 191(2), 115(2), 105, 352 बीएनएस

2.आलोक कुमार बिन्द पुत्र पतिराज राम निवासी ग्राम धर्मपुरवा (कोडनियापुर) थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

मु030सं0 319/20 धारा 323,354,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट

मु030सं0 138/22 धारा 147,323,504,506 भादवि

मु030सं0 141/23 धारा 323,504,506 भादवि

मु030सं0 280/25 धारा 324(2),329(3),351(3),352 बीएनएस

मु030सं0 322/25 धारा 191(2), 115(2), 105, 352 बीएनएस

**पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर**